**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 2015**

**उत्तर देने की तारीखः 28.07.2014**

स्कूली शिक्षकों को प्रशिक्षण

2015. डॉ॰ कनवर दीप सिंहः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) देश में स्कूली शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या यह सच है कि देश में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु निजी एजेंसियों को अनुमति दी जा रही है;**

**(ग) क्या ऐसे निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकरण हेतु कोई दिशानिर्देश हैं; और**

**(घ) ऐसे निजी संस्थानों के कार्यकरण की निगरानी हेतु विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है**?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख) :** स्कूल अध्यापकों को सेवा-पूर्व अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण सरकारी और निजी क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के जरिए प्रदान किया जाता है जबकि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण राज्य/जिला तथा ब्लॉक स्तर पर सरकारी संस्थाओं के जरिए दिया जाता है।

(ग) और (घ) **: सेवा-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करने वाली निजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को एनसीटीई विनियमों द्वारा निर्धारित मान्यता दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। एनसीटीई और राज्य, जिनमें निजी संस्थाएं मौजूद हैं, वहां की सरकारें ऐसी निजी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यकरण की निगरानी करने के लिए सक्षम हैं। एनसीटीई मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण करती है तथा उसके पास उन संस्थाओं के संबंध में मान्यता वापस लेने का अधिकार है जिन्हें एनसीटीई अधिनियम और नियम तथा विनियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है।**

\*\*\*\*\*